रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1971/माघ 15, 1892

No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1971/MAGHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January 1971

S.O. 668.—In exercise of the powers conferred by section 21 and sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/AP/71, dated the 14th January, 1971, namely:—

(a) In column 2 of the Table appended to the said notification:—

(1) for the existing entry against serial No. 1, the entry "District Revenue Officer, Srikakulam" and

(2) for the existing entry against serial No. 2, the entry "Collector, Srikakulam",

shall be substituted; and

(b) In column 3 of the Table appended to the said notification—

(1) the existing entry at item No. 1 against serial No. 1 shall be deleted and the remaining entries renumbered as 1 to 31.

(2) the entries "1—District Revenue Officer Srikakulam", "2—Deputy Director of Agriculture, Srikakulam", "3—Divisional Co-operative Officer, Srikakulam" and "4—District Agricultural Officer, Bobbili" shall be added before the existing entries against serial No. 2 and the existing entries renumbered as 5 to 37.

(3) after the existing entries against serial No. 3 the entries "29—District Co-operative Officer, Srikakulam", "30—Special Deputy Collector (Mines), Srikakulam", "31—Headquarters Deputy Tahsildar Cheepurupalli, shall be added;

(4) for the existing entry at item No. 6 "Tahsildar, Pathipudu" against serial No. 7, the entry "Tahsildar, Prathipudu" shall be substituted;

(5) for the existing entry at item No. 3 "Revenue Divisional Officer, Narasapur" against serial No. 10, the entry "Sub-Collector, Narasapur" shall be substituted;

(6) for the existing entry at item No. 5 "Personal Assistant to Collector (Coop), Krishna" against serial No. 12, the entry "Special Grade Deputy Registrar and Personal Assistant to Collector (Coop), Krishna" shall be substituted;

(7) after the existing entries against serial No. 14, the entry "21—District Panchayat Officer, Krishna" shall be added;

(8) after the existing entries against serial No. 15, the entry "14—Secretary, Chirala Municipality" shall be added;

(9) after the existing entries against serial No. 20, the entry "18—Personal Assistant to Collector (Panchayats), Chittoor" shall be added;

(10) after the existing entries against serial No. 21, the entry "15—Forest Settlement Officer, Chittoor" shall be added;

(11) after the existing entries against serial No. 22, the entry "17—Excise Superintendent, Chittoor" shall be added;

(12) the existing entry at item No. 1 against serial No. 25, shall be deleted and the remaining items renumbered as 1 to 9.

(13) for the existing entry at item No. 6 "Tahsildar, Allur", against serial No. 26, the entry "Tahsildar, Alur" shall be substituted;

(14) for the existing entry at item No. 10 "Sub-Collector, Hyderabad (East)" against serial No. 31, the entry "Revenue Divisional Officer, Hyderabad (East) shall be substituted;

(15) for the existing entry at item No. 4 "Revenue Divisional Officer, Asifabad", against serial No. 35, the entry "Sub-Collector, Asifabad" shall be substituted;

(16) for the existing entry at item No. 1 "District Revenue Officer, Warangal", against serial No. 39, the entry "District Revenue Officer, Khammam" shall be substituted;

(17) for the existing entry at item No. 5 "Special Deputy Collector (L.A.) Rehabilitation (NSP)" against serial No. 40, the entry "Personal Assistant to Special Collector (NSP), Hill Colony, Vijayapuri North" shall be substituted and after the existing entries, the entries "20—Revenue Assistant, Collectorate, Nalgonda", "21—Project Officer, Small Formers' Development Agency, Nalgonda" and "22—Block-Development Officer, "Mungode" shall be added; and

(18) for the existing entry at item No. 5 "Special Deputy Collector (L.A.), Rehabilitation (NSP)" against serial No. 41, the entry "Personal Assistant to Special Collector (NSP), Hill Colony, Vijayapuri North" shall be substituted and after the existing entries, the entry "14—Block Development Officer, Nakrekal" shall be added.

[No. 434/AP/71.]

By Order,
ROSHAN LAL, Secy

भार निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी 1971

एस० ओ० 663.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434 आ० प्र०/71, तारीख 14 जनवरी, 1971, में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात :—

(क) उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में:—

(1) क्रम सं० 1 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "जिला राजस्व अधिकारी, श्रीकाकुलम," प्रविष्टि, और

(2) क्रम सं० 2 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "कलक्टर, श्रीकाकुलम" प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी, तथा

(ख) उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में—

(1) क्रम सं० 1 के सामने मद सं० 1 पर विद्यमान प्रविष्टि को निकाल दिया जायगा और शेष प्रविष्टियों को 1 से 31 तक पुनः—संख्यांकित कर दिया जाएगा।

(2) क्रम सं० 2 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों से पहले "जिला राजस्व अधिकारी, श्रीकाकुलम," "2 उप निदेशक, कृषि, श्री काकुलम", "3 खंड सहकारी अधिकारी, श्रीकाकुलम" तथा "4 जिला कृषि अधिकारी, बोब्बिली" जोड़ी जाएगी और विद्यमान प्रविष्टियों को 5 से 37 तक पुनः संख्यांकित कर दिया जाएगा।

(3) क्रम सं० 3 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "29 जिला सहकारी अधिकारी, श्रीकाकुलम", "30 विशेष उप कलक्टर (खान), श्रीकाकुलम "31 मुख्यालय उप तहसीलदार, चीपरूपल्ली" प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी;

(4) क्रम सं० 7—के सामने मद 6 पर विद्यमान प्रविष्टि "तहसीलदार, पाथपाडू" के स्थान पर, "तहसीलदार, प्रथीपाडू" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(5) क्रम सं 10 के सामने मद 3 पर, विद्यमान प्रविष्टि "राजस्व खंड अधिकारी, नरसापुरम "के स्थान पर" उप –कलक्टर, नरसापुर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(6) क्रम सं० 12 के सामने मद 5 पर विद्यमान प्रविष्टि "कलक्टर (सहकारी), के निजी सहायक, कृष्णा" के स्थान पर "विशेष ग्रेड उप रजिस्ट्रार तथा कलक्टर (सहकारी) के निजी सहायक, कृष्णा" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(7) क्रम सं० 14 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "21 जिला पंचायत अधिकारी, कृष्णा" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ;

(8) क्रम सं० 15 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, "14 सचिव, चिराला नगर पालिका" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ;

(9) क्रम सं० 20, के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "18—कलक्टर (पंचायत) के निजी सहायक, चित्तूर" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

(10) क्रम सं० 21 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "15—वन बन्दोबस्त अधिकारी चित्तूर" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

(11) क्रम सं० 22 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "17 आबकारी अधीक्षक, चित्तूर" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

(12) क्रम सं० 25 के सामने मद सं० 1 पर विद्यमान प्रविष्टि निकाल दी जाएगी और शेष मदों को 1 से 9 तक पुनः संख्यांकित कर दी जाएगी ।

(13) क्रम सं० 26 के सामने मद सं० 6 पर विद्यमान प्रविष्टि "तहसीलदार, अल्लुर" के स्थान पर, "तहसीलदार, अलुर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(14) क्रम सं० 31 के सामने मद सं० 10 पर विद्यमान प्रविष्टि "उप कलक्टर, हैदराबाद (पूर्व)" के स्थान पर "राजस्व खंड अधिकारी हैदराबाद (पूर्व)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(15) क्रम सं० 35 के सामने की मद 4 की पर विद्यमान प्रविष्टि "राजस्व खंड अधिकारी, आसिफाबाद" के स्थान पर "उप कलक्टर, आसिफ़ाबाद" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(16) क्रम सं० 39 के सामने मद 1 पर विद्यमान प्रविष्टि "जिला राजस्व अधिकारी वारंगल" के स्थान पर "जिला राजस्व अधिकारी, खम्माम" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(17) क्रम सं० 40 के सामने मद सं० 5 पर विद्यमान प्रविष्टि "विशेष उप कलक्टर (भूमि अर्जन) पुनर्वास (एन० एस० पी)" के स्थान पर "विशेष कलक्टर (एन०-एस० पी०) के निजी सहायक हिल कालोनी, विजयापुरी नार्थ" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी; और विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, "20 राजस्व सहायक, कलक्टोरेट" नालगोंडा", "21 परियोजना अधिकारी, छोटे कृषक विकास अधिकरण, नलगोंडा" तथा "22 खंड विकास अधिकारी मुनगोडे" प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी ।

(18) क्रम सं० 41 के सामने मद सं० 5 पर विद्यमान प्रविष्टि "विशेष उपकलक्टर (भूमि अर्जन), पुनर्वास (एन० एस० पी०)" प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष कलक्टर (एन०एस०पी०) के निजी सहायक, हिल कालोनी, विजयापुरी नार्थ" प्रविष्टिस प्रतिस्थापित की जाएगी ; और विद्यमान प्रविष्टियों के बाद "14 खंड विका अधिकारी, नरेकल" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

[सं० 4/4/आ० प्र०/71.]

आदेश से,

रोशन लाल,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971